दैनिक
न्याय साक्षी

खबरें खास

रायगढ़, सोमवार 08 जुलाई 2019

www.nyaysakshi.com

लैलूंगा में पुलिस आरक्षक ने लगायी फांसी

न्याय साक्षी/रायगढ़। आज सुबह लैलूंगा थाना में बने सर्विस क्वाटर में रहने वाले पुलिस आरक्षक संतोष केरकेट्टा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली यह सनसनी खेज घटना सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच हुयी पुलिस के अनुसार आरक्षक अक्सर बिमार व गुमशुम रहता था इसी फस्टेशन के कारण उसके व्दारा यह आत्मधाती कदम उठाये जाने की संभावना जतायी जा रही हैं लैलूंगा टी आई ने आरक्षक पर किसी प्रकार के प्रशासनिक दबाव होने से इंकार किया हैं पुलिस मामले में मर्ग 174 कायम कर विवेचना आरंभ कर रही हैं और लाश को पोस्ट मार्टम के लिये लैलूंगा अस्पताल भिजवा दिया है मृतक आरक्षक फरसाबहार थाने के तिलगा गांव का रहने वाला था उसका परिवार गांव में ही रहता था और वह यहां अकेला ही रहता था जिसके कारण वह बिमार व गुमशुम रहने लागा और आज सुबह उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली घटना की सूचना मिलने पर आरक्षक की पत्नी और उसके दोनों बच्चो सहित परिजन लैलूंगा पहुंच गये हैं पुलिस व्दारा कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही हैं।

ग्राम पंचायत तड़ोला के सप्ताहिक बाजार में पहुंचा अंजोर रथ

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना पुसौर के ग्राम पंचायत तडोला के साप्ताहिक बाजार में अंजोर रथ पहुंचा। थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक गौरीशंकर दुबे द्वारा साप्ताहिक बाजार में आये ग्रामीणों को ए.टी.एम./फ्राड कॉल से हो रही ठगी, मानव तस्करों द्वारा अच्छा काम दिलाने के नाम पर दिगर प्रान्त ले जाने वालों से बचने की दियत देकर इस प्रकार की सूचना थाना में दिने के लिये ग्रामीणों को प्रोत्साहित किये। दुबे ने ग्रामीणों को 18 साल से कम तथा बिना लायसेंस के वाहन नहीं चलाने की हिदायत तथा दुपहिया चलाते समय हेलमेट पहने रहने की हिदायत दिये। दुबे द्वारा मोबाईल से बढ़ रहे सायबर क्राईम व पॉस्को एक्ट की भी जानकारी दिया गया। थाना प्रभारी पुसौर के साथ थाना स्टाफ सउनि दुर्गा प्रसाद साहू, प्रधान आरक्षक भानु पात्रे, सैनिक सुज्ञान गुप्ता तथा अंजोर रथ में कार्यरत आरक्षक महेंद्र सिदार एवं दीपक भगत उपस्थित थे।

कोतवाली, कोतरा रोड व जुटमिल पुलिस की सटोरियो पर संयुक्त कार्यवाही

शहर में पकड़े गये 16 सटोरियों से 27510 रूपये नगद व 70,000 के सट्टापट्टी जप्त

सारंगढ़ पुलिस ने 04 तथा पुसौर व चौकी खरसिया पुलिस ने 2-2 सट्टा लिखने वालों को पकड़ा

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार अग्रवाल के दिशा निर्देशन पर हफ्ते भर से जिले में जुआ-सट्टा तथा अवैध शराब पर कार्यवाही की जा रही है। गत दिनों शहर तथा देहात थानों में में खुलेआम शराब पीने वालों पर कार्यवाही के साथ ही कई सट्टा-पट्टी लिखने वालों पर कार्यवाही किया गया था।

दिनांक 06.07.19 को अति पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक अविनाश सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन पर नगर कोतवाली एस.एन सिंह के नेतृत्व में कोतवाली, कोतरारोड़ एवं पुलिस चौकी जूटमिल स्टाफ की संयुक्त टीम बनाकर कोतवाली, जूटमिल तथ कोतरारोड़ में अनके स्थानों पर मुखबिर सूचना पर छापेमारी की गई । इस दौरान 16 सट्टा पट्टी लिखने वालों को पुलिस टीम ने पकड़ा है जिन पर 4(क) जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। सटोरियो से रू.27510 नगदी तथा रू. 70,000 के सट्टा पट्टी जप्त किया गया है। इस पूरी कार्यवाही में थाना कोतवाली, थाना कोतरारोड़ एवं पुलिस चौकी जूटमिल स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

इन पर की गई कार्यवाही

कोतवाली क्षेत्र - कदिर खान चांदमारी, संपत साहु नवापारा, सुरेश ठाकुर धोबीपारा, जावेद अली चांदमारी, सोनू वर्मा चांदमारी, रवींद्रनाथ इंदिरानगर, करण चौधरी, छविराम धीवर, राजीव कुर्मी, जावेद अली तुर्कापारा।

पुलिस चौकी जूटमिल क्षेत्र - कंगालू बरेठ, सुरेश जांगड़े पैतराम, संतोष महंत निवासी जुटमिल।

कोतरा रोड क्षेत्र - मोनू चौहान, नीतीश चौहान दोनों निवासी कोतरारोड।

सारंगढ़ पुलिस की कार्यवाही- थाना प्रभारी सारंगढ़ निरीक्षक ए.के. खान के नेतृत्व में सारंगढ़ स्टाफ द्वारा सट्टा-पट्टी लिखने वालों पर अभियान चलाकर कार्यवाही किया गया , इस दौरान 04 व्यक्तियों को सट्टा पट्टी लिखते हुये पुलिस ने पकड़ा। आरोपियों से कुल 5,960 रूपये तथा सट्टा पट्टी जप्त किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में- (1)संजय सारथी पिता गुल्लू सारथी उम्र 30 वर्ष निवासी रेंजरपारा 1070 रूपये व सट्टा पट्टी, (2)रविशंकर बरेठ पिता तिजाऊ उम्र 31 वर्ष वार्ड क्रमांक 07 सारंगढ़ 1030 रूपये व सट्टा पट्टी, (3) मुकेश सारथी पिता हीरालाल निवासी रेंजरपारा सारंगढ़ 2030 रूपये व सट्टा पट्टी, (4) विक्की राजा पिता रामकुमार उम्र 23 वर्ष निवासी रेंजरपारा 1830 रूपये व सट्टा पट्टी शामिल हैं।

पुसौर पुलिस की कार्यवाही- थाना प्रभारी पुसौर के नेतृत्व में स्टाफ द्वारा सट्टा-पट्टी लिखने वालों पर अभियान चलाकर कार्यवाही किया गया, जिसमें (1) निरंजन साव निवासी औरदा जप्ती रकम 840 रूपये व सट्टा पट्टी, व (2) पृथ्वी साय भोई निवासी छिछोर उमरिया जप्ती रकम 450 रूपये व सट्टा पट्टी आरोपी पकड़े गये।

खरसिया पुलिस की कार्यवाही- चौकी खरसिया पुलिस में (1) रोशन निषाद पिता दुलार निषाद निवासी मौहापाली जप्ती रकम 5000 रूपये व सट्टा पट्टी व (2)विजय साहू पिता जनक साहू निवासी बसनाझर जप्ती रकम 3000 रूपये व सट्टा पट्टी आरोपी पकड़े गए।

16 वर्षीय बालिका लापता का रिपोर्ट दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस चौकी जुटमिल में 16 वर्षीय बालिका के बिना बताये कहीं चले जाने की रिपोर्ट बालिका की मां द्वारा दर्ज कराया गया है। बालिका की मां ने बताया कि मूलतः सारंगढ़ की रहने वाली हूं। करीब 04-05 माह से पति एवं बच्चों के साथ रायगढ़ किराये के मकान पर रह कर रोजी मजदूरी का काम करती हूं। दिनांक 03.07.2019 के सुबह 07/00 बजे घर में खाना बना रही थी उसी समय बड़ी लड़की बिना बताये कहीं चली गई है, जिसे आसपड़ोस रिश्तेदारी में पता किये कोई पता नहीं चला है । परिजन के रिपोर्ट पर अप.क्र. 506/19 धारा 363 भादंवि का अपराध थाना कोतवाली जुटमिल में पंजीबद्ध किया गया है।

महिला को जातिगत गली गलौज व दहेज प्रताड़ना, ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना घरघोड़ा अन्तर्गत छोटे गुमडा में रहने वाली श्रीमति उमा डनसेना पति प्रभात नंदे उम्र 24 वर्ष दिनांक 05.07.19 को थाना घरघोड़ा में इसके पति व ससुराल वालों के विरूद्ध दहेज एवं प्रेम विवाह को लेकर शादी के बाद से जातिगत गाली गलौच तथा मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करने की रिपोर्ट दर्ज करायी है।

पीडिता आवेदन देकर बतायी कि 04 वर्ष पूर्व घरघोड़ा का प्रभात नंदे से प्रेम कर विवाह किया था। इसकी एक ढाई वर्ष की बेटी है। पीड़िता बतायी कि पति प्रभात नंदे, ससुर परमेश्वर नंदे, सास गीता नंदे, ननद संतोषी दुबे, देवर आकाश नंदे, बहनोई सुधीश दुबे द्वारा लगातार शादी के बाद से दहेज एवं प्रेम विवाह करने से जातिगत बातें बोलकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर मारपीट झगडा विवाद करते थे।

दिनांक 04.07.19 के सुबह 8-9 बजे करीब ससुरालवाले झगडा विवाद मारपीट कर घर से निकाल दिये। तब अपनी बेटी के साथ लेकर मायके में रह रही हूँ। ससुराल वाले मेरे पिताजी को कहते हैं कि इसका दूसरा विवाह अपने जाति में कर दो शादी का पूरा खर्चा हम देने के लिये तैयार है। ससुरालवालों की प्रताडंना से तंग आकर पीडिता द्वारा थाना घरघोड़ा में आवेदन दिया गया आवेदन पत्र पर इसके पति व ससुरालवालों के विरूद्ध अप.क्र. 122/19 धारा 498(ए),34 आईपीसी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

लैलूंगा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पुलिस महिला रक्षा टीम का जागरूकता कार्यक्रम

न्याय साक्षी/रायगढ़। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिले की पुलिस महिला रक्षा टीम पुलिस द्वारा अधीक्षक राजेश कुमार अग्रवाल के दिशा निर्देशन पर स्कूली बच्चों, कामकाजी महिलाएं के बीच निरंतर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दिनाँक 05-07-19 को पुलिस महिला रक्षा टीम थाना लैलूंगा अन्तर्गत कोतबा रोड़ में स्थित कन्या शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लैलूंगा में जागरूकता कार्यक्रम के लिये पहुंचे। कार्यक्रम में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राएं करीब 200 एवं शिक्षकगण उपस्थित थी। प्रभारी पुलिस महिला रक्षा टीम निरीक्षक संतोषी ग्रेस व महिला प्रधान आरक्षक मंजू मिश्रा द्वारा छात्राओं को नाबालिकों एवं महिलाओं से संबंधित अपराधों को रोकने के लिए बनाये गये सख्त कानूनों की जानकारी दिया गया साथ ही छात्राओं को गुड टच- बैड टच की जानकारी देकर निसंकोच इसकी शिकायत व विरोध करने की समझाईस दिया गया। टी.आई. ग्रेस द्वारा छात्राओं को लैंगिक अपराध, यौन शोषण, छेड़खानी, घरेलु हिंसा की घटनाओं के बारे में बताते हुए इससे बचने के उपाय भी बताया गया। महिला सेल के सदस्यों ने बच्चों को सेल्फ डिफेंस का डेमो दिखाया गया तथा हेल्प लाईन नम्बर मोबाइल नम्बर 1098, 1091, 112 एवम् 100 की जानकारी दी गई। महिला टीम में कार्यरत महिला आरक्षकों ने छात्राओं को चाकलेट-टॉफी वितरण कर अपना निजी मोबाईल नम्बर भी साझा किये और छात्राओं को आवश्यकता पडने पर सम्पर्क करने को बोली। इस दौरान महिला रक्षा टीम की म.आर. रोजमेरी, अराधना आनंद, इंदुलता एक्का आरक्षक जेरोम खलखो एवं सुरेश मिंज उपस्थित थे।

आवश्यकता है

CAREER SCHOOL

अंग्रेजी माध्यम (English Medium)
में नर्सरी से कक्षा 10वीं तक के लिए
गणित एवं अंग्रेजी विषय हेतु अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है।

वेतन योग्यतानुसार
मिलने का समय- सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक

अभ्यर्थी अपना संपूर्ण बायोडाटा के साथ उपस्थित होवें।

CAREER SCHOOL
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, रायगढ़

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐश्वर्या श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी तकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित विभिन्न कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करवायेगा।

पढ़िए ....
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग. संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480